



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. - 279]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2012/फाल्गुन 3, 1933

No 279]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2012/PHALGUNA 3, 1933

### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2012

का.आ. 315(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम सदभित किया गया है) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ 1634(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2007 द्वारा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के 29.700 कि.मी. से 170.000 कि.मी. तक के खण्ड (दिल्ली/हरियाणा सीमा-रोहतक-हिसार खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" सदभित किया गया है) को सौंपा था,

और प्राधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसरण में, मैसर्स वैस्ट हरियाणा हाइवेज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 153, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् रियायतग्राही कहा गया है) के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IIIक के अधीन निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-10 के 29.700 कि.मी. से 87.000 कि.मी. तक (डिजाइन चैनेज 29.650 कि.मी. से 93.140 कि.मी.) दिल्ली/हरियाणा सीमा से रोहतक खण्ड, बहादुरगढ़ और रोहतक बाइपास सहित (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खण्ड कहा गया है), के डिजाइन, इंजीनियरिंग, वित्त, निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए तारीख 6 नवम्बर, 2007 को करार किया था।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण) नियम, 1977 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन में व्यय, निवेशित पूँजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट श्रेणी के वाहनो पर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा, और वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, समापन की तारीख तक, जैसाकि करार में उल्लेख किया गया है, शुल्क का संग्रहण करने और उसे प्रतिधारित करने के लिए, रियायतग्राही को प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

### सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रकार	आधार फीस यान प्रति फेरा फीस की दर (रुपये प्रति कि.मी.में)
1	2	3
1	मोटर कार, यात्री वैन अथवा जीप	0.40
2.	हल्के वाणिज्यिक यान (एलसीवी)/मिनी बस	0.70
3.	ट्रक/ बस (दो धुरी)	1.40
4.	बहुधुरीय यान (दो धुरीय)	2.25

\* बहुधुरीय यान जिसमें अर्थ मूविंग उपस्कर और भारी सन्निर्माण मशीनरी सम्मिलित होगी ।

टिप्पणियां :-

1. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, -

(i) "वास्तविक शुल्क" का अभिप्राय है उक्त खण्ड के प्रयोक्ताओं से, निम्नलिखित के आधार पर, वास्तव में प्रभारित शुल्क, -

(क) परियोजना राजमार्ग की लम्बाई, और

(ख) सारणी में दी गई आधार फीस और जो एक रुपये के निम्नतर की ओर निकटतम पूर्णांकित में होगी ।

(ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उक्त खंड या उसके किसी भाग के संबंध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के मध्य हुए पर करार के उपबन्धों के अनुसार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त करार किया गया है) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड के पूरा होने पर स्वतंत्र परामर्शी द्वारा, यथास्थिति, पूर्णता प्रमाणपत्र (अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र) जारी किए जाने के पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होता है ।

(iii) कार/जीप/वैन के लिए भुगतान योग्य शुल्क के संबंध में, "स्थानीय यातायात" का अभिप्राय निम्नलिखित श्रेणियों के स्थानीय यातायात से है. अर्थात् :-

(क) "स्थानीय यातायात श्रेणी 1" से निम्नलिखित अभिप्रेत हो और जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रवर्गों के योक्ता भी है -

- (1) दस गावों/कस्बों/शहरों के ऐसे निवासी, जिनकी सीमाएं फीस सग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) से दस किलोमीटर के घेरे में हो ;
- (2) वे स्थापन/औद्योगिक इकाइयां जो फीस सग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) से दस किलोमीटर के घेरे में स्थित हो .
- (3) स्थापन या औद्योगिक इकाइया या जिनके कार्यालय फीस सग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) से दस किलोमीटर के दायरे में स्थित कर्मचारी हो: और
- (4) स्व रोजगार व्यक्ति या कारोबारी जिनका कार्यस्थल फीस सग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) से दस किलोमीटर के घेरे में हो ,

(ख) "स्थानीय यातायात प्रवर्ग 2" में निम्नलिखित घेरे प्रवर्गों अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रवर्ग प्रयोक्ता भी है ।

- (1) उन गावों, कस्बों या शहरों के निवासी जिनकी सीमाएं फीस सग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) से 10 किलोमीटर से अधिक, किन्तु 20 किलोमीटर तक के घेरे में हों ,
- (2) वे स्थापन/औद्योगिक इकाइया जो फीस सग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) से 10 किलोमीटर से अधिक, किन्तु 20 किलोमीटर तक के घेरे में स्थित हों ,
- (3) उन प्रतिष्ठानों या औद्योगिक इकाइयों के ऐसे कर्मचारीगण जिनके प्रतिष्ठान या औद्योगिक इकाइयां या जिनके कार्यालय फीस सग्रहण बूथ (पथकर प्लाजा) से 10 किलोमीटर से अधिक, किन्तु 20 किलोमीटर तक के घेरे में स्थित हो कि कर्मचारी , और
- (4) स्व का रोजगार वाले व्यक्ति या कारोबारी जिनका कार्यस्थल शुल्क सग्रहण बूथ (टोल प्लाजा) से 10 किलोमीटर से अधिक, किन्तु 20 किलोमीटर तक के घेरे में हो ।

(ग) बसे :-

राज्य परिवहन बसों के लिए मासिक पास

प्रतिदिन रूट पर चल रही बसों की सख्या के संबंध में सक्षम प्राधिकारी (राज्य सरकार सड़क परिवहन के महाप्रबन्धक से कम नहीं) द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने पर राज्य सरकार परिवहन के पक्ष में निर्दिष्ट दरों पर दिए जाएंगे । स्थानीय प्राइवेट ऑपरेटरों के मामले में, जिला परिवहन अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित रूट परमिट और रूट प्रचालन की समय-सारणी प्रस्तुत करने पर उन्हें मासिक पास जारी किए जाएंगे ।

(घ) स्कूल बसे :-

स्कूल बसों के लिए मासिक पास स्कूल की मान्यता और बस के रजिस्ट्री के साथ स्कूल के प्रधानाचार्य के लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, पथकर प्लाजा पार करने वाली स्कूली छात्रों के लिए 1000/- रुपए (एक हजार रुपए मात्र) की दर से जारी किए जाएंगे ।

- (iv) "समापन तिथि" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसने प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार के उपबन्धों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति सूचना द्वारा समाप्त कर दिया जाता है,
- (v) पद और शब्द जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त हैं और परिभाषित हैं, किन्तु उक्त करार में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उक्त करार में हैं।
2. प्रत्येक वर्ष फीस की वास्तविक रकम और प्रत्येक वर्ष 01 सितम्बर से उसमें पुनरीक्षण निम्नानुसार किया जाएगा :-

$$\text{आधार फीस} \times \frac{\text{थो की.सू.-ख}}{\text{थो.की.सू.-क}} \times \text{उक्त खण्ड की लम्बाई}$$

जहाँ

\* थो.की.सू.-क = जून, 1997 का थोक कीमत सूचकांक (131.4) है।

\* थो.की.सू.-ख = फीस पुनरीक्षण की तारीख से पूर्वगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए औसत थोक कीमत सूचकांक है।

\* WPI का अभिप्राय है आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया थोक कीमत सूचकांक या उसको प्रतिस्थापित करने वाला कोई अन्य सूचकांक अभिप्रेत है।

3. परियोजना की 63.490 कि.मी. लम्बाई के लिए फीस का संग्रहण 47.960 कि.मी. (विद्यमान चैनल) अर्थात् 52.460 कि.मी. (डिजाइन चैनल) पर स्थित फीस प्लाजा पर ही किया जाएगा।
4. जब किसी यान को उक्त सेक्शन के दिन में एक से अधिक फेरे लगाने हों तो उपयोक्ता के पास यह विकल्प रहेगा कि वह पहले ही फेरे में जब वह टोल प्लाजा को पार करते समय उपर्युक्त सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट दर से डेढ़ गुना से बहु-चक्करों की दर के लिए फीस का भुगतान कर दे। ऐसे पास से निर्दिष्ट यान को पास के जारी किए जाने के दौरान समय से 24 घंटे की अवधि में पथकर प्लाजा को एक से अधिक बार पार करने का हकदार हो जाएगा। जहाँ किसी यान को पूरे मास या उसके पश्चात् भी उक्त सेक्शन का लगातार और बारबार उपयोग करना हो तो उपयोक्ता उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथानिर्दिष्ट एकल फेरे के लिए लागू दर के तीस गुना के बराबर प्रभार का भुगतान करके मासिक पास ले सकेगा। ऐसे पास से निर्दिष्ट यान को एक मास (कैलेण्डर मास) अथवा उसके भाग के दौरान कितनी भी बार राजमार्ग परियोजना पर आने-जाने का हकदार हो जाएगा।

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "दिन" की गणना 24 घंटे की लगातार अवधि के रूप में की जाएगी।

5. निम्नलिखित यानों के सबंध में कोई फीस प्रभारित या सगृहीत नहीं की जाएगी, अर्थात् -

(i) यान -

(क) जो 'अति महत्वपूर्ण' प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं -

(क) भारत का राष्ट्रपति ,

(ख) भारत का उपराष्ट्रपति ,

(ग) राज्य का राज्यपाल या सघ राज्य क्षेत्र का उप राज्यपाल ,

(घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्चपदस्थ विदेशी व्यक्ति ,

(ङ.) "सीडी"/"सीसी" नम्बर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रहे विदेशी राजनयिक,

(च) राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद का सभापति, राज्य विधान सभा का अध्यक्ष, केन्द्रीय या राज्य का मंत्री, लोकसभा, राज्य सभा, राज्य विधानमंडल में विपक्ष का नेता जिसकी हैसियत केबिनेट मंत्री की हो, यदि वे यान में स्वयं बैठे हो, या

(छ) सम्पूर्ण देश में ससद सदस्य, किसी राज्य में राज्य विधान सभा का सदस्य, संबधित राज्य विधान परिषद का सदस्य, यदि वह यथास्थिति ससद या संबधित राज्य के विधानमंडल द्वारा, हो, जारी किया गया अपना पहचान-पत्र प्रस्तुत करे ,

(ख) शौर्यपुरस्कारों अर्थात् परम वीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र जैसे शौर्य पुरस्कार विजेता, यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित अपना फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करता है ,

(ii) रक्षा यान, जिनके अंतर्गत वे यान भी हैं जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम, 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना पर यथा विस्तारित) के अनुसार छूट के लिए पात्र हैं ;

(iii) पुलिस यान, अग्निशमन यान, एम्बुलेस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, इयूटी पर तैनात केन्द्रीय और राज्य सरकार के यान ।

6. रियायतग्राही स्थानीय यातायात से निम्नलिखित रियायती दरों से अधिक शुल्क सगृहीत नहीं करेगा -

(क) कार/ वैन/जीप :

(i) स्थानीय यातायात श्रेणी 1 : 150.00 रुपये का मासिक पास

(ii) स्थानीय यातायात श्रेणी 11 : 300.00 रुपये का मासिक पास

(ख) हल्के वाणिज्यिक यान या ट्रक (स्थानीय प्रचालन) : बीस किलोमीटर के भीतर में चलाने के लिए सबूत, अथवा प्रारम्भिक स्थान तथा गतव्य स्थान को दर्शानेवाला मान-चालान

557 GZ/12-2

- दिखाकर जिसमें वाहन की वापसी संबंधी ब्यौरे को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट हो, प्रस्तुत करने पर ट्रकों के लिए प्रत्येक के प्रवेश पर पच्चीस रुपये की दर से और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए प्रत्येक के प्रवेश पर पन्द्रह रुपये की दर से स्थानीय परिवहन प्रचालको से रियायती फीस लिया जाएगा ;
7. उपर्युक्त पैरा 6 में वर्जित फीस अनुसूची लागू है और भाराराप्रा द्वारा घोषणा किए जाने पर इसमें परिवर्तन हो जाएगा ।
  8. जब भी कोई सर्विस लेन बन जाती है तो रियायतग्राही ऐसी सर्विस लेन के उपयोक्ताओं से कोई फीस संग्रहीत नहीं करेगा ।
  9. किसी यांत्रिक यान से जो उक्त सारणी के अधीन नहीं है, पर कोई फीस संग्रहीत नहीं होगी ।
  10. रियायतग्राही वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम 10 दिन पहले इस अधिसूचना का सार कम से कम को दो स्थानीय समाचार-पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा का होगा) प्रकाशित करेगा जिसमें, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का भी उल्लेख किया जाएगा और, ऐसा सार इस अधिसूचना के अनुसार, पुनरीक्षित फीस को प्रभावी करने के लिए 10 दिन पहले भी इस पुनः प्रकाशित किया जाएगा ।
  11. रियायतग्राही फीस संग्रहण के भारसाधक के रूप में एक अधिकारी का नाम निदर्शित करेगा और रियायतग्राही तथा उक्त अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि फीस सहमत दर से अधिक दर पर संग्रहीत की जा रही है और फीस संग्रहण सुचारू रूप से किया जाएगा ताकि सड़क उपयोक्ताओं के लिए फीस और उससे संबंधित सभी मामलों में कोई अनुचित कठिनाई उत्पन्न न हो ।
  12. फीस की दर, फीस के सदाय से छूट प्राप्त यानों की प्रवर्गों और रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या जिसे शिकायत, यदि कोई हो, से संबंधित होनी चाहिए को पथकर से 500 मीटर, पथकर से 100 मीटर आगे और पथकर पर भी सहजदृश्य रूप से तथा प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी, सप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई तथा अक्षरों का साइज इस प्रकार का होगा कि चालको के लिए प्रदर्शन बोर्ड को पढ़ना आसान हो सके ।
  13. उपयोक्ताओं प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी, और प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से 45 दिन पहले, यथासम्भव शीघ्र विधिमान्यता के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी। जिससे कि प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर टीका-टिप्पणियां कर सके या स्पष्टीकरण यदि कोई हो मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है या स्पष्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथा प्रस्तावित पुनरीक्षित फीस की प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई मानी जाएगी।

[फा सं भाराराप्रा/13013/614/सीओ/11-12/बीसी-रोहतक/बीओटी-एनएचडीपी-III-ए(29.700-87.000)]

बी. बी. महापात्र, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2012

**S.O. 315(E).**— Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S O. 1634 (E), dated the 27th September, 2007, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as the said Act), the Central Government has entrusted, the stretch from Km 29 700 to Km 170.000 (Delhi / Haryana Border - Rohtak -Hissar section) of National Highway No. 10 in the State of Haryana to the National Highways Authority of India (herein after referred to as the Authority);

And Whereas, pursuant to the provisions of section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement dated the 6<sup>th</sup> November 2007 with M/s West Haryana Highways Projects Private Limited, having its registered office at 153, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi - 110 020 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for Design, Engineering, Finance, Construction, Operation and Maintenance of Delhi / Haryana border to Rohtak section of NH-10 from Km 29.700 to km 87 000 (design Chainage from km 29.650 to km 93.140) including Bahadurgarh and Rohtak bypasses in the State of Haryana under NHDP Phase III-A (herein after referred to as the said section) on Build, Operate and Transfer (BOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956, read with the National Highways (Collection of Fees by any person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees at the base rates specified in column (3) of the following Table, on the categories of vehicles specified in column (2) of the said Table for the use of the said section, and authorises the Concessionaire to collect and retain the said fees on and from the date of commercial operation of the said section or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, as mentioned in the agreement

**Table**

S. No.	Categories of vehicles.	Base rate of fees per vehicle per one way trip per Km (in rupees).
(1)	(2)	(3)
1.	Car, passenger van or jeep	0.40
2.	Light Commercial Vehicle (LCV) / Mini Bus	0.70
3.	Bus, Truck (< 2 Axle)	1.40
4.	MAV (>2 Axle)*	2.25

\*It shall include Earth Moving Equipment and Heavy Construction Machinery.

Notes:-

1. For the purposes of this notification,-
  - (i) "actual fee" means the fee actually charged from the road users of the said section on the basis of,-
    - (i) length of the project highway, and
    - (ii) base rate given in the said Table duly indexed, as per Para 2 below
 And shall be rounded off to the nearest one rupee.
  - (ii) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said section or part thereof begins after issue of the completion certificate (or the provisional completion certificate) as the case may be, by the Independent Consultant, upon completion of the said section in accordance with the provisions of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section (hereinafter referred to as the said agreement) ;
  - (iii) "local traffic" means the following type of traffic in relation to the fee payable for car/jeep/van,
    - (a) "Local Traffic" category I" means and includes users falling into any of the following categories
      - (1) Residents of villages/towns/cities whose boundary falls within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza).
      - (2) establishments industrial units located within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
      - (3) employees of establishments/industrial units located or which have their office, within a radius of ten kilometers of the fee collection booths (toll plaza); and



- (4) self employed persons/businessmen having place of work within a radius of ten kilometers of the fee collection booth (toll plaza),
- (b) "local Traffic category II" means and includes local users falling into any of the following categories -
- (1) residents of villages/towns/cities whose boundary falls within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza);
  - (2) establishments/industrial units located within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza),
  - (3) employees of establishments/ industrial units located or which have their office, within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza); and
  - (4) Self employed persons/business men having place of work within a radius of more than ten kilometers but upto twenty kilometers of the fee collection booth (toll plaza)
- (c) Buses:-  
Monthly passes for the State Transport buses may be given at the specified rate in favor of the State Government Transport on the certification of the Competent Authority (not less than the General Manager, State Government Road Transport) certifying the number of buses plying in the route per day. In case of private local operators, monthly passes shall be issued on production of their route permit and time table of the route operation duly certified by the District Transport Authority.
- (d) School Buses:  
Monthly passes for school buses, for school students, crossing the toll plaza at a monthly rate of Rs 1000/- (Rupees one thousand) after obtaining written request of the School Principal along with the recognition of the school and the registration of the bus.
- (iv) "termination date" means the date on which the said agreement entered into between the authority and the Concessionaire, expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;
- (v) Words and expressions used in this notification and not defined herein but defined in the said agreement, shall have the same meaning respectively assigned to them in the said agreement.
- 2 The actual amount of fee and the revision thereof effective from 1<sup>st</sup> September every year shall be computed as follows.-

SSY 61/12-3

$$\text{Base Fee} \times \frac{\text{WPI-B}}{\text{WPI-A}} \times \text{length of the said section}$$

Where,

- WPI-A = is the Wholesale Price Index on June, 1997 (131.4).
- WPI-B = is the Average Wholesale Price Index available for the year ending March, 31<sup>st</sup> preceding the fee revision date.
- WPI means the Whole Sale Price Index as released by the Office of the Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry, Government of India or any other index replacing the same.

3. The fee shall be collected at the fee plaza only, situated at km 47.960 (existing chainage) i.e. km 52.460 (design chainage) for the 63.490 km length of the project.
4. When a vehicle has to cross the said section more than once in a day, the user shall have the option to pay the fee for multiple trips at one and half times the rates as specified in column (3) of the said Table while crossing the toll plaza in the first trip itself. Such pass shall entitle the specified vehicle to cross the Toll Plaza more than once during time span of 24 hrs. starting from the time of issue of such pass Where vehicle has to use the said section continuously and frequently for the entire month or even beyond that, then the user may have a monthly pass on payment of charges equal to thirty times the rate applicable for single one way trip as specified in column (3) of the said Table. Such pass shall entitle the specified vehicle to commute on the Project Highway any number of times during a period of one month (calander month) or part thereof.

Explanation:- For the purpose of this notification "day" shall be counted as continuous period of twenty-four hours.

5. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely:-
  - (i) Vehicles-
    - (A) having VIP symbols or officially belonging to -
      - (a) the President of India;
      - (b) the Vice-President of India;
      - (c) the Governor of a State and Lieutenant Governor of a Union territory;
      - (d) a Foreign dignitary on State visit to India;
      - (e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates;
      - (f) the Chairman of Rajya Sabha , Speaker of Lok Sabha , Chairman of a State Legislative Council , Speaker of a State Legislature Assembly, a Minister for the Union or State,

- Leader of Opposition in Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislatures having the status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle;
- (g) a Member of Parliament in the entire country, a Member of Legislative Assembly of a State, a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;
- (B) belonging to awardees of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the appropriate or competent authority for such award,
- (ii) Defense vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made there under (as extended to Navy),
- (iii) Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.
6. Concessionaire shall not collect fees from Local Traffic in the excess of the following discounted rate:-
- (a) Car/Jeep/Van:
- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| i) Local Traffic Category I   | Monthly pass of Rs 150 00; |
| ii) Local Traffic Category II | Monthly pass of Rs 300.00; |
- (b) Light Commercial Vehicle or Trucks (Local Transport Operators):  
Concessional fee may be taken from the Local Transport Operators on production of proof for plying within twenty kilometers i.e. goods challan showing origin and destination clearly specifying the return details of the vehicle and the fee for such transport shall be rupees twenty five for trucks for each entry and rupees fifteen for Light Commercial Vehicle for each entry:
7. The fee schedule mentioned in Para 6 above are applicable for the time being and will undergo change as and when announced by NHAI
8. As and when a service lane is constructed, the Concessionaire shall not collect any fee from the users of such lane.
9. No fee shall be collected from a mechanical vehicle, which is not covered under the said Table.
10. The Concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which

shall also state the date of commercial operation as per the provisions of this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation and such substance shall also be repeated, ten days prior to giving effect to revised fees as per this notification

11. The Concessionaire shall nominate an officer as in-charge of fee collection and the Concessionaire and the said officer shall be responsible to ensure that fee is collected at not more than the agreed rates and the fees collected is smooth without causing undue hardship to the road users and for all matters connected therewith.
12. The rate of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booth, 100 meters ahead of the toll booth and at the toll booth also, the height of the display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards
13. The actual fees to be charged to users shall be computed by the concessionaire and sent to Authority for validation as soon as possible after 31<sup>st</sup> March in every year, but at least forty-five days before the rate increase is to be effective Authority shall provide any comments or request clarifications as soon as possible upon receipt of the fee revision proposal but not later than fifteen days of receipt of the Fee Revision proposal. If the authority does not offer comments or seek clarification during the period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the authority.

[F. No. NHAI/13013/614/CO/11-12/GC-Rohtak/BOT-NHDP-III-A (29 700-87.000)]

B B MAHAPATRA, Director